सत्यमेव जयते

भारतीय संसद

एक परिचय

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चंद्रगुप्त मौर्य

प्राचीन भारतीय इतिहास की महानतम विभूतियों में से एक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चन्द्रगुप्त मौर्य की संसद भवन में लगी ताम्र प्रतिमा। इन्होंने ई.पू. 321 से ई.पू. 296 तक शासन किया।

"चरवाहा बालक–चंद्रगुप्त मौर्य
भावी भारत के निर्माण
की कल्पना में लीन"

भारतीय संसद

एक परिचय

भारतीय संसद

एक परिचय

डॉ. योगेन्द्र नारायण
महासचिव
राज्य सभा

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई 2007

प्रथम संस्करण	1993
द्वितीय संस्करण	1995
तृतीय संस्करण	2002
चतुर्थ संस्करण	2007

© राज्य सभा सचिवालय

मूल्य : 75 रुपये

महासचिव, राज्य सभा, भारतीय संसद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।

गोयल स्टेशनर्स, 433, पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007 द्वारा मुद्रित। दूरभाष : 011-23855858, 24510101

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	**(i)-(ii)**
भूमिका	**1-4**
संसद	**5-14**
भारत का राष्ट्रपति	5-7
राज्य सभा	8-9
लोक सभा	10-13
सदस्यता के लिए अर्हताएं	14
सदस्यता के लिए निरर्हताएं	14
पीठासीन अधिकारी	**15-16**
महासचिव	**17**
संसद की भूमिका	**18-19**
दोनों सभाएं : शक्तियां और संबंध	**20-26**
राज्य सभा की विशेष शक्तियां	20-21
लोक सभा की विशेष शक्तियां	21
दोनों सभाओं में संबंध	21-26

विधायी क्षेत्र में संसद का प्रभुत्व **27–28**

संसद का सामान्य कार्यकरण **29–31**

सत्र 29

कार्य प्रबंध 29–31

संसद में प्रक्रियागत नवीनताएं **32–33**

ध्यानाकर्षण 32

अल्पकालिक चर्चा 32

विशेष उल्लेख और नियम 377 32–33

प्रश्नकाल के पश्चात् निवेदन 33

समिति प्रणाली **34–38**

स्थायी समितियां 34–35

विभाग-संबंधित स्थायी समितियां 35–36

समितियों का वर्गीकरण 37–38

संसदीय मंच **39–40**

संसद ग्रंथालय **41**

टेलिविज़न और संसद **42**

संसद में सूचना प्रौद्योगिकी **43**

सूचना का अधिकार और संसद **44**

संसद-संपदा **45**

राज्य सभा और लोक सभा सचिवालय **46**

उपाबंध **47**

प्राक्कथन

भारतीय संसद हमारे देश के लोकतांत्रिक आचार की शानदार अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय विधानपालिका और संघ की संवैधानिक शक्तियों का संग्राहक होने के कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका केन्द्रीय स्थान है। पिछले कुछ वर्षो से संसद एक ऐसी संस्था बन गई है जिसकी बहुमुखी भूमिकाएं हैं। सहभागी लोकतंत्र का पोषण और प्रोत्साहन करते हुए हमारी संसद ने राष्ट्र के समक्ष आये महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगामी विधानों और सार्थक वाद-विवादों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे सुशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ जो हमारे संविधान का बुनियादी सिद्धांत है।

भारतीय शासन व्यवस्था का संघीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जो कार्यपालिका को विधानपालिका के प्रति जवाबदेह बनाती है । भारतीय संसद के तीन घटक हैं अर्थात् भारत का राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है। राष्ट्रपति को अपने कार्यों को करने में सहायता करने और परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है।

सबसे बड़ी विधि-निर्मात्री संस्था के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, भारतीय संसद ने राष्ट्र के 'सबसे बड़े अन्वेषक' और 'प्रहरी' के रूप में भी कार्य किया है। यह सिद्ध हो गया है कि भारत के शांतिपूर्ण एवं संतुलित विकास के लिए संसदीय लोकतंत्र से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत ने सारगर्भित रूप में यह उल्लेख किया है कि :-

''हम अपने लोकतंत्र पर उचित ही गर्व करते हैं। यह एक अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में लोकतंत्र की सफलता की कहानी है जिसने विश्व को यह दिखाया है कि जटिल समस्याओं को किस प्रकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे में सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है...। लोकतंत्र की सफलता... को... इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि उससे नागरिकों का कितना कल्याण हुआ है।''

संसद आज हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है जो लोगों के हित को कर्मठता पूर्वक साध रही है।

संसद ने हमारे लोकतंत्र के आधार के रूप में विकसित होकर नई चुनौतियों, जटिल आवश्यकताओं और आधुनिक समय की उभरती प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया है। समिति प्रणाली का विस्तार, संसदीय कार्यवाहियों का टेलीविजन पर प्रसारण और दोनों सभाओं के लिए पृथक् चैनल शुरू करना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं, जो तेजी से बदलते विश्व के साथ इस संस्था की अनुकूलनशीलता को इंगित करते हैं। वे एक सच्चे प्रतिनिधिक निकाय के रूप में इसकी विश्वसनीयता

की पुष्टि करते हैं जो हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित जन-कल्याण के मुख्य आदर्श को पोषित एवं संवर्धित करते हुए, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रयोग के जरिए लोगों को एक-दूसरे के नजदीक लाने के लिए प्रगामी रूप से कार्य कर रही है।

"भारतीय संसद : एक परिचय" नामक यह पुस्तिका सामान्य पाठक को भारतीय संसद के संगठन और कामकाज से परिचित कराने का एक प्रयास है। संशोधित संस्करण विगत संस्करण से अब तक भारतीय संसद के कार्यकरण से संबंधित घटनाक्रम का अद्यतन लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। संसद में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, संसदीय मंचों का गठन आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी पुस्तक का अंग बनी हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान संस्करण में उपयोगी सूचना को भी शामिल किया गया है जिन्हें पाठकों के तत्काल संदर्भ हेतु आलेखी चार्ट, तालिकाओं, उपाबंधों के माध्यम से दर्शाया गया है। हमें आशा है कि यह प्रकाशन उन पाठकों में अभिरुचि पैदा करेगा जो सरसरी तौर पर भारतीय संसद के संगठनात्मक ढांचे और कामकाज को जानना चाहते हैं।

नई दिल्ली
मई, 2007

डॉ. योगेन्द्र नारायण
महासचिव

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥
(भगवद् गीता, 3/21)

श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य और दर्शाए गए मार्ग का लोगों द्वारा अनुकरण किया जाता है।
(भगवद् गीता, 3/21)

भूमिका

भारत की धरती के लिए लोकप्रिय प्रजातंत्र और प्रतिनिधि संस्थाएं न तो पूर्णतया अपरिचित हैं और न ही इनका हाल-फिलहाल में उद्भव हुआ है। भारत में प्रजातांत्रिक परंपराओं का इतिहास वास्तव में वैदिक युग से ही आरम्भ होता है। भारत के प्राचीनतम साहित्य, वेदों में "सभाओं" तथा "समितियों" के रूप में जानी जाने वाली लोकप्रिय सभाओं के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। राजा का चुनाव करने के अतिरिक्त ये सभायें राज्य के मामलों पर भी विचार-विमर्श और निर्णय करती थीं। इन सभाओं में मुक्त विचार-विमर्श होते थे और इनके द्वारा पारित कोई भी संकल्प सभी के लिए आबद्धकर तथा अलंघ्य होता था। उत्तर वैदिक काल में गणतंत्र, जिन्हें बोलचाल की भाषा में गणराज्य या संघ कहा जाता था, स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे। इन संघों में संसदीय प्रक्रिया के नियम अस्तित्व में थे तथा इनमें से कई नियम संसदों में अपनायी जा रही आधुनिक प्रक्रियाओं के समान ही थे। इनमें किसी सभा में बैठने की व्यवस्था, निंदा प्रस्ताव समेत प्रस्तावों को उपस्थित करने, संकल्प, गणपूर्ति का निर्धारण और व्हिप जारी करने इत्यादि के संबंध में नियम होते थे। इन सभाओं में बैलट (मतपत्र) द्वारा मत डालने की बड़ी परिष्कृत प्रक्रिया थी तथा इनमें मतों की गिनती आदि के संबंध में भी नियम थे। संसद भवन में समिति कक्षों और अन्य स्थानों को सुशोभित करने वाले कुछ उत्कीर्ण लेखों से प्राचीन भारत में लोकतंत्र के कार्यकरण के बारे में पता चलता है। उदाहरणार्थ, **ऋग्वेद** में किसी सभा के उद्देश्य की एकता का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
समानो मंत्रः समितिः समानी ।
समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।

"सार रूप में, लोकतंत्र का अर्थ विभिन्न वर्गों के लोगों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जन सामान्य के हित के लिए जुटाने वाली कला और विज्ञान से होना चाहिए।"

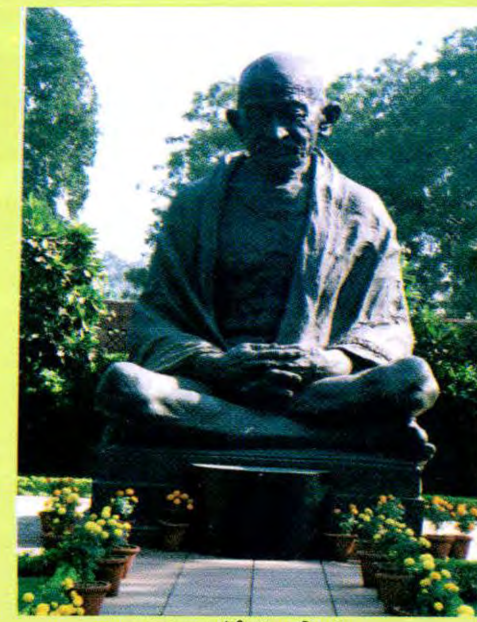
महात्मा गांधी (राष्ट्रपिता)

संसद भवन के गुंबद का एक शिलालेख

या तो व्यक्ति सभा भवन में प्रवेश न करे या फिर सभा-भवन में प्रवेश करने के बाद वहां वह पूरे सदाचार के साथ बोले । जो व्यक्ति वहां नहीं बोलता है या असत्य बोलता है, वह पाप में बराबर का भागीदार होता है।
(मनु)

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व । समानवस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।''*

**मिल-जुलकर बैठो, मिल-जुलकर बात करो, तुम्हारे मन एक जैसा सोचें, एकत्रित जनों का परामर्श साझा हो, संघ साझा हो, उद्देश्य साझा हो, इच्छा परस्पर जुड़ी हो, तुम्हारा मंतव्य साझा हो, तुम्हारे हृदय की अभिलाषाएं भी साझी हों, तुम्हारे विचार साझे हों जिससे कि तुम्हारे बीच पूर्ण एकता हो सके।*

एक अन्य प्राचीन ग्रंथ, **मनुस्मृति** में भी किसी सभा में सत्य तथा सदाचार के अनुपालन पर जोर दिया गया है। इसमें विधान किया गया है कि:

राष्ट्रीय स्तम्भ

सभा वा न प्रवेष्टव्या,
वक्तव्यं वा समंजसम् ।
अब्रुवन विब्रुवन वापि,
नरो भवति किल्विषी।**

***या तो व्यक्ति सभा-भवन में प्रवेश न करे या फिर सभा-भवन में प्रवेश करने के बाद वहां वह पूरे सदाचार के साथ बोले। जो व्यक्ति वहां नहीं बोलता है या असत्य बोलता है, वह पाप में बराबर का भागीदार होता है।*

महाभारत में, सभा में गुरुजनों की भूमिका को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया गया है:

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा,
वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम्
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति,
सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति ।***

****वह सभा, सभा नहीं है जिसमें गुरुजन न हों; वे गुरुजन गुरुजन नहीं है जिनकी वाणी में सदाचार न हो; वह सदाचार, सदाचार नहीं है जिसमें सत्य न हो, वह सत्य, सत्य नहीं है जो किसी को कपट के लिए प्रेरित करे।*

देश में आधुनिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष से उत्पन्न हुई थी। 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत की संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं अपने हाथ में ले ली थी तथा ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के शासन की प्रथम संविधि को भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट), 1858 के रूप में जाना जाता है। यद्यपि 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम (इंडियन काउंसिल्स एक्ट), में इस उपबंध द्वारा कि विधायी कार्यों को करते समय गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद् (एक्जीक्यूटिव काउंसिल) में अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य भी होंगे, थोड़ी-सी मात्रा में लोकप्रियता के तत्व का समावेश तो किया गया था फिर भी इस अधिनियम से किसी तरह की प्रतिनिधि या विचार-विमर्श करने वाली संस्था का जन्म नहीं हुआ। भारतीय परिषद् अधिनियम (इंडियन काउंसिल्स एक्ट), 1892 का लक्ष्य भी सरकार के कामकाज में भागीदारी हेतु गैर-सरकारी व्यक्तियों और देशवासियों को और अधिक अवसर देना था।

"भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।"
—अनुच्छेद 1 (1)

इंडिया गेट

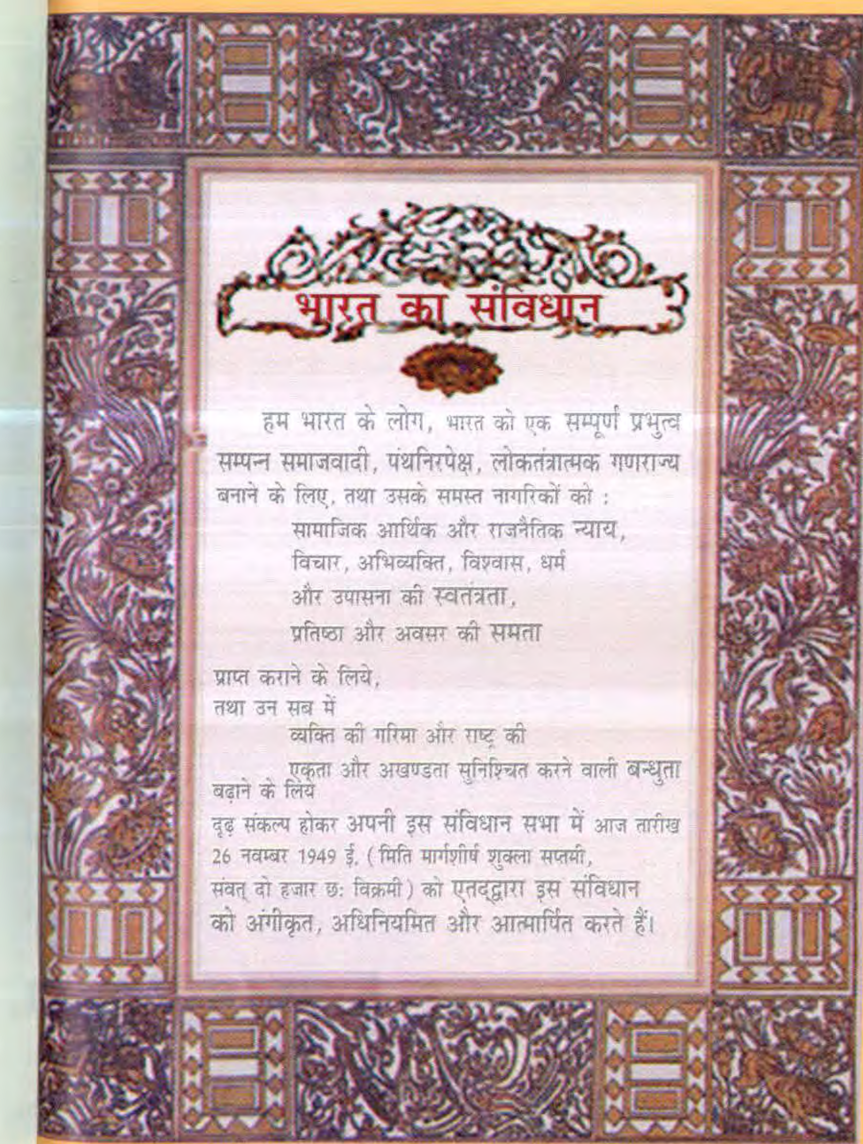

भारत का संविधान

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारत के संविधान की उद्देशिका

तथापि, लोकप्रिय शासन के सूत्रपात का प्रथम प्रयास मार्ले-मिन्टो सुधारों से प्रारम्भ हुआ था जिनका क्रियान्वयन इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1909 के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव किया गया। मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का अधिनियम हुआ जोकि भारत के संवैधानिक इतिहास में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय शासन-व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रांतों में "द्वैध शासन व्यवस्था" प्रारम्भ की गई जिसका उद्देश्य प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की शुरुआत करना था। तथापि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 से भारत की जनता की आकांक्षाएं पूर्णतया पूरी नहीं हो सकीं। परिणामतः काफी विचार-विमर्श के पश्चात् गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 अस्तित्व में आया जिसके द्वारा संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई । इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय ही बनाया गया। इसमें विधायी शक्ति को केन्द्र तथा प्रांतों में वितरित किए जाने का भी प्रावधान था। 1947 में अस्तित्व में आए भारतीय स्वतंत्रता

लोकतंत्र के विषय में मेरी धारणा यह है कि इसमें सबसे कमज़ोर व्यक्ति को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए ।

-महात्मा गांधी

गणतंत्र दिवस परेड में स्कूली बच्चों द्वारा तिरंगे के आकार की रचना

अधिनियम के परिणामस्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में संशोधन हुआ। इसके कारण भारत का प्रशासन चलाने के ब्रिटिश सरकार और संसद के उत्तरदायित्व की समाप्ति हुई। इस अधिनियम से गवर्नर-जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुखों का दर्जा भी प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत में आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ एक पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण का भार एक संविधान सभा को सौंपा गया। स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज और वयोवृद्ध राजनेताओं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रगण्य व्यक्तियों सहित प्रकाण्ड विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में अर्द्ध-संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण की स्वत: प्राप्त जानकारी थी। संस्थापक-सदस्यों ने गहन विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से भारत के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाने का निर्णय लिया।

संविधान सभा द्वारा विरचित संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत किया गया और वह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। नए संविधान के अन्तर्गत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में हुए। उस समय तक, अर्थात् 1950 से 1952 तक स्वयं संविधान सभा ही एक अनन्तिम संसद के रूप में कार्य करती रही। संसद की दोनों सभाएं वर्ष 1952 में अस्तित्व में आईं।

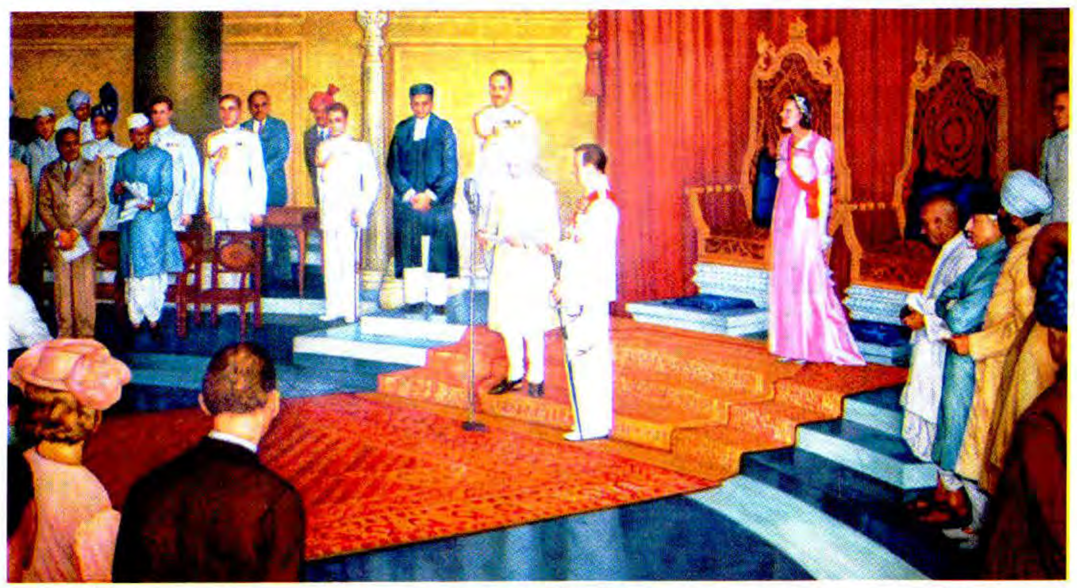

संसदीय सौध में प्रदर्शित वी.एस. कुलकर्णी कृत चित्र जिसका शीर्षक है 'ट्रांसफर ऑफ पावर' (सत्ता का हस्तांतरण)

संसद भवन

संसद

संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है जिनके नाम क्रमश: राज्य सभा और लोक सभा हैं।

राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जो राष्ट्रपति के पद-ग्रहण करने की तारीख से प्रारम्भ होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और संसद का एक संघटक अंग होता है। वह अनेक महत्वपूर्ण कार्यपालिका तथा विधायी कृत्यों का निष्पादन करता है।

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिसका प्रयोग संविधान के उपबंधों के अनुसार या तो वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। वह महत्वपूर्ण सांविधानिक कृत्यकारियों, जैसे राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त करता है।

भारत का राष्ट्रपति

एक निर्वाचक मण्डल, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, द्वारा निर्वाचित ।

कार्यकाल : पांच वर्ष ।
संसद द्वारा महाभियोग के अध्यधीन ।

राज्य सभा

गठन : 245 सदस्य, जिनमें से 233 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं ।

कार्यकाल : एक स्थायी निकाय जोकि विघटित किये जाने के अध्यधीन नहीं है तथापि प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् एक तिहाई सदस्य छह वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं ।

लोक सभा

गठन : 545 सदस्य, जिनमें से 543 जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समाज से नाम-निर्देशित किये जाते हैं ।

कार्यकाल : पांच वर्ष ।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा विघटित किये जाने के अध्यधीन ।

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

"भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
–अनुच्छेद 52"

संसद का एक घटक होने के नाते राष्ट्रपति कतिपय महत्वपूर्ण संसदीय कृत्यों का निर्वहन करता है, जैसे सभाओं को सत्र के लिए आमंत्रित करना और उनका सत्रावसान करना, दोनों सभाओं में असहमति होने पर उनकी संयुक्त बैठकें बुलाना, संसद की किसी एक सभा या दोनों सभाओं या एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण देना और लोक सभा को भंग करना। लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण देता है और संसद को उसे आमंत्रित किए जाने के कारणों का विवरण देता है। दोनों सभाओं के प्रक्रिया विषयक नियमों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्णित मुद्दों पर एक धन्यवाद प्रस्ताव के आधार पर चर्चा करने का उपबंध किया गया है। वह संसद में लंबित विधेयक के संबंध में या अन्यथा किसी भी सभा को संदेश भेज सकता है तथा जिस सभा को ऐसा संदेश भेजा जाता है वह संदेश में अपेक्षित विषय पर विचार करती है।

राष्ट्रपति भवन

जहां तक विधि-निर्माण के क्षेत्र का संबंध है, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात् विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है जो या तो यह घोषणा करता है कि उसने विधेयक को स्वीकृति दे दी है या फिर यह घोषणा करता है कि उसने उस पर स्वीकृति रोक ली है। यदि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह उस पर या उसके किसी विशिष्ट उपबंध पर पुनर्विचार करने का सुझाव देते हुए उसे संदेश सहित या बिना संदेश के पुनर्विचार के लिए सभाओं को लौटा सकता है। तथापि, यदि राष्ट्रपति द्वारा इस तरह लौटाया गया विधेयक सभाओं द्वारा संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुन: पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति, अपनी यह संतुष्टि हो जाने पर कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसका तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

"संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
–अनुच्छेद 53 (1)"

राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन

अध्यादेश कानून की तरह ही लागू होता है। इसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखना पड़ता है। यह संसद के पुन: समवेत होने के छ: सप्ताह की समाप्ति पर, निष्प्रभावी हो जाता है या यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले इसे निरनुमोदित करने वाले संकल्प दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिए जायें तो इन दोनों में से अन्तिम संकल्प के पारित हो जाने पर राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसे अध्यादेश को वापिस ले सकता है।

संविधान के अधीन कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोक सभा में पुर:स्थापित या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जिस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त है, वह विधेयक संसद की किसी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति विधेयक पर विचार किये जाने की सिफारिश उस सभा को न करे। संविधान के उपबंधों के अनुसार, महालेखा-परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं जो उसके पश्चात् उन्हें संसद की प्रत्येक सभा में रखवाता है।

यद्यपि संविधान ने कार्यपालिका, विधायी और अन्य सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की हैं, किन्तु व्यवहार रूप में वह इन कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद्, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही करता है।

राष्ट्रपति भवन का दरबार कक्ष

राष्ट्रपति भवन का अशोक कक्ष

राज्य सभा का पार्श्व दृश्य

> **संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे ।**
>
> –अनुच्छेद 79

राज्य सभा

राज्य सभा में दो सौ पचास से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से दो सौ अड़तीस सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा बारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन का उपबंध है। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्य सभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा अधिनियमित विधियों के अनुसार किया जाता है।

राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों। राज्य सभा की वास्तविक वर्तमान सदस्य संख्या दो सौ पैंतालीस है।

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है तथा यह भंग नहीं होती है। तथापि, इसके सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सदस्यता से निवृत्त होते रहते हैं। जो सदस्य पूरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है उसकी सदस्यता छह साल तक रहती है। वह पुन: चुने जाने का पात्र होता है।

राज्य सभा कक्ष

> **राज्य सभा-**
>
> **(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नाम-निर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; और**
>
> **(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी ।**
>
> –अनुच्छेद 80 (1)

राज्य सभा का पार्श्व दृश्य

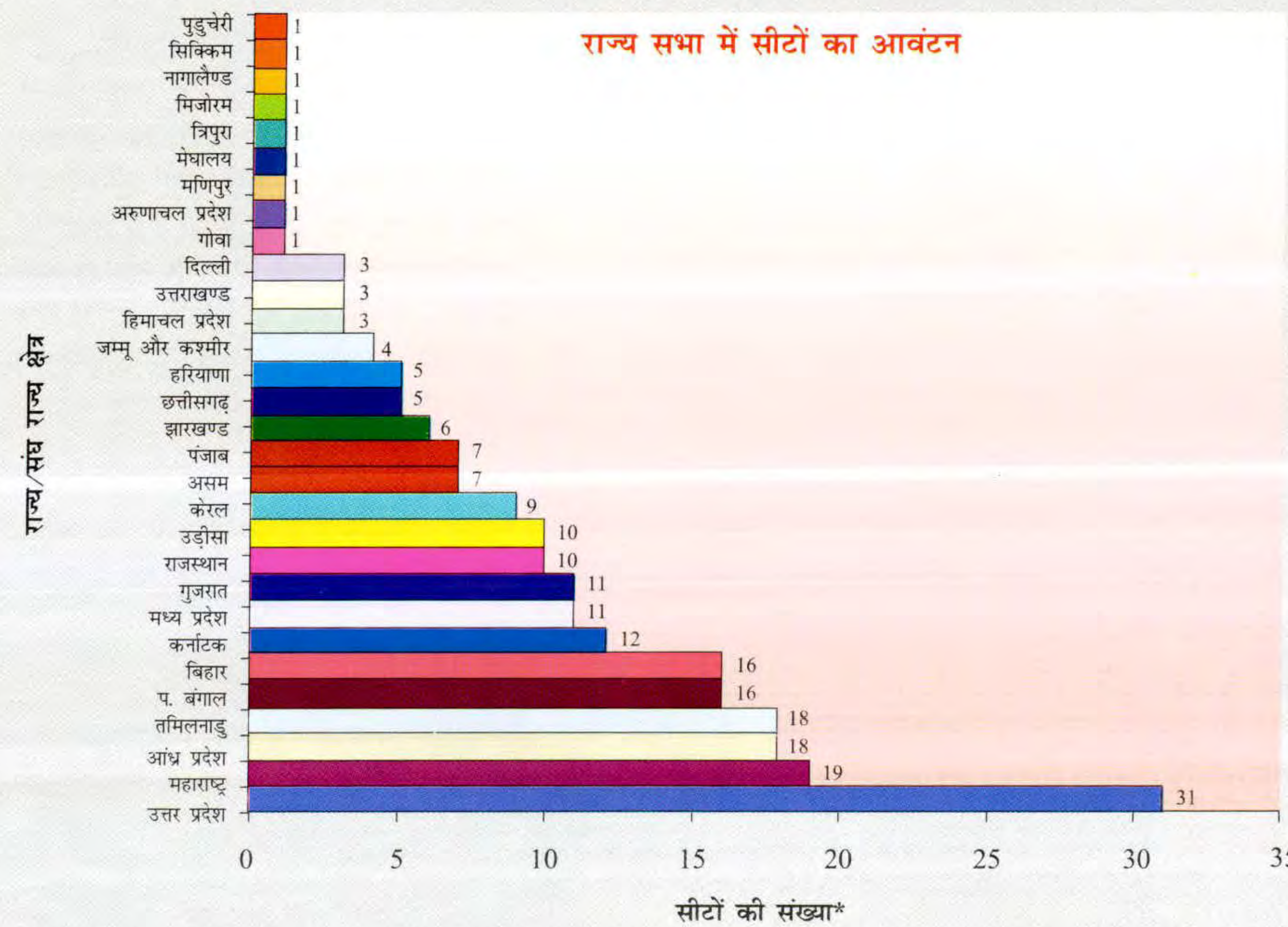

*इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित बारह सदस्य होते हैं ।

राज्य सभा का पार्श्व दृश्य

संसद भवन का बाह्य दृश्य

लोक सभा

लोक सभा में पांच सौ बावन सदस्य होते हैं जिनमें से पांच सौ तीस सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से और बीस सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्यों का नाम-निर्देशन आंग्ल-भारतीय समुदाय से किया जाता है। लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट आरक्षित होती हैं जो पूरे देश में उनके लिए विशेष रूप से निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का उपबंध है।

इस समय लोक सभा की वास्तविक सदस्य संख्या पांच सौ पैंतालीस है जिनमें अध्यक्ष और दो नाम-निर्देशित सदस्य सम्मिलित हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, संविधान के अंतर्गत पहली लोक सभा का गठन 1952 में हुए आम चुनावों के बाद किया गया था। लोक सभा, यदि समय से पहले विघटित न कर दी जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत की गई तारीख से पांच वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। तथापि, जब आपात स्थिति की उद्घोषणा लागू हो, तब संसद विधि द्वारा इस अवधि को ऐसी अवधि

लोक सभा कक्ष

पहली लोक सभा	दूसरी लोक सभा	तीसरी लोक सभा
17 अप्रैल 1952 - 4 अप्रैल 1957	5 अप्रैल 1957 - 31 मार्च 1962	2 अप्रैल 1962 - 3 मार्च 1967

> अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा-
> (क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये पांच सौ तीस से अनधिक सदस्यों, और
> (ख) संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए बीस से अनधिक सदस्यों, से मिलकर बनेगी।
>
> –अनुच्छेद 81(1)

भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता को दर्शाती गणतंत्र दिवस परेड की एक झांकी

के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में इसका विस्तार छः मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

दोनों सभाओं की पहली बैठक 13 मई, 1952 को आयोजित हुई।

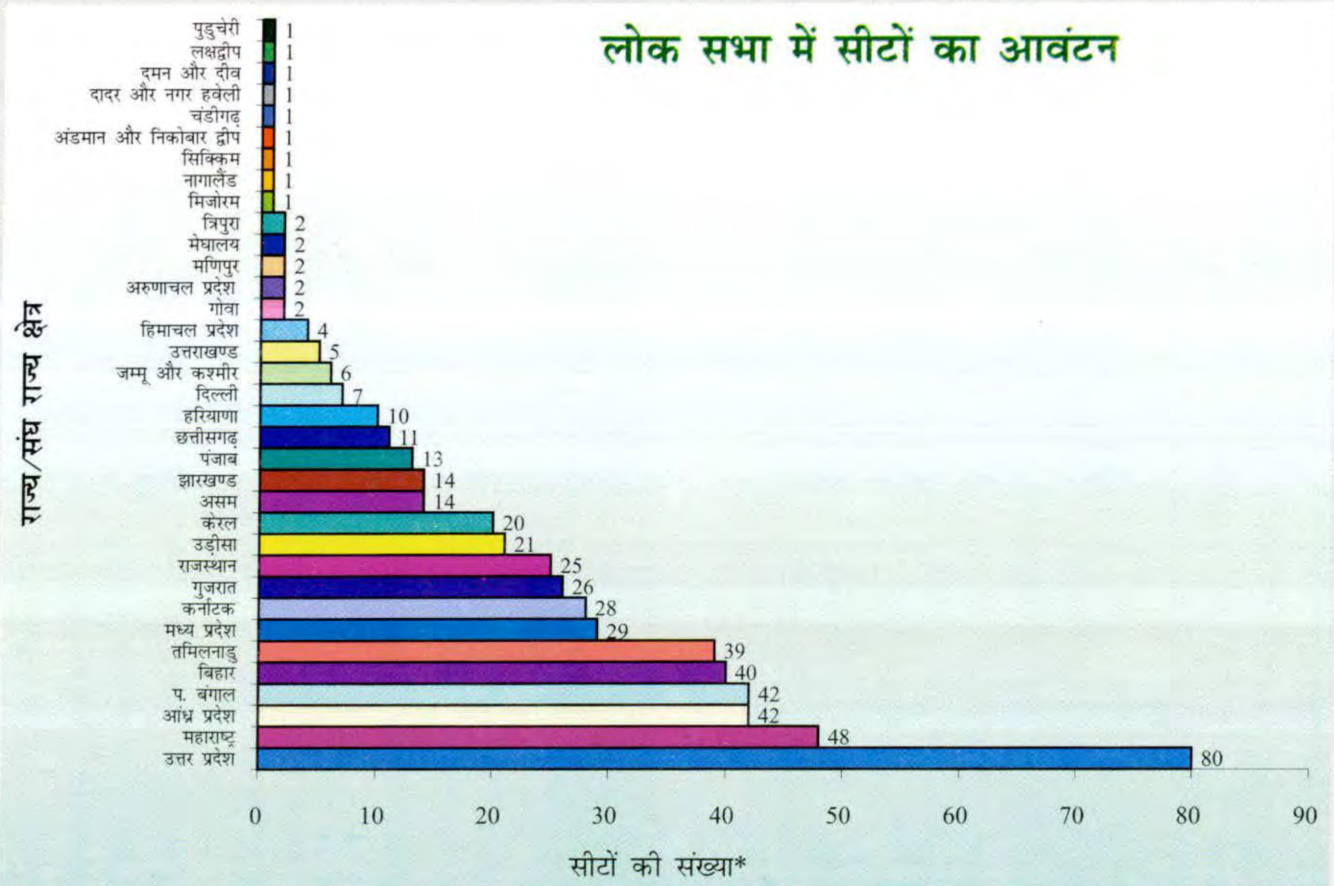

* इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय से दो सदस्य हैं।

चौथी लोक सभा	पांचवीं लोक सभा	छठी लोक सभा
4 मार्च 1967 - 27 दिसम्बर 1970	15 मार्च 1971 - 18 जनवरी 1977	23 मार्च 1977 - 22 अगस्त 1977

"लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परन्तु जब आपातस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तब संसद उक्त अवधि को विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

-अनुच्छेद 83 (2)"

लोक सभा का आंतरिक दृश्य

सातवीं लोक सभा	आठवीं लोक सभा	नौवीं लोक सभा
10 जनवरी 1980 - 31 दिसम्बर 1984	31 दिसम्बर 1984 - 27 नवम्बर 1989	2 दिसम्बर 1989 - 13 मार्च 1991

लोक सभा हेतु आम चुनाव

पहली लोक सभा (1951-52)	अक्तूबर 1951 - फरवरी 1952
दूसरी लोक सभा (1957)	24 फरवरी - 14 मार्च 1957
तीसरी लोक सभा (1962)	19 फरवरी - 25 फरवरी 1962
चौथी लोक सभा (1967)	17 फरवरी - 21 फरवरी 1967
पांचवीं लोक सभा (1971)	1 मार्च - 10 मार्च 1971
छठी लोक सभा (1977)	16 मार्च - 20 मार्च 1977
सातवीं लोक सभा (1980)	3 जनवरी - 6 जनवरी 1980
आठवीं लोक सभा (1984)	24 दिसम्बर - 28 दिसम्बर 1984
नौवीं लोक सभा (1989)	22 नवम्बर - 26 नवम्बर 1989
दसवीं लोक सभा (1991)	20 मई - 15 जून 1991
ग्यारहवीं लोक सभा (1996)	27 अप्रैल - 30 मई 1996
बारहवीं लोक सभा (1998)	16 फरवरी - 23 फरवरी 1998
तेरहवीं लोक सभा (1999)	5 सितम्बर - 6 अक्तूबर 1999
चौदहवीं लोक सभा (2004)	20 अप्रैल - 10 मई 2004

दसवीं लोक सभा	ग्यारहवीं लोक सभा
20 जून 1991-10 मई 1996	15 मई 1996 - 4 दिसम्बर 1997

भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह

संसद भवन का मुख्य प्रवेश द्वार

सदस्यता के लिए अर्हताएं

संसद का सदस्य चुने जाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति (क) भारत का नागरिक हो, (ख) लोक सभा के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु और राज्य सभा के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का हो।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं

निम्नलिखित आधारों पर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित किया जा सकता है:

(क) यदि वह ऐसे पद को छोड़ कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है; और

(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी कानून द्वारा इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

बारहवीं लोक सभा	तेरहवीं लोक सभा	चौदहवीं लोक सभा
10 मार्च 1998 - 26 अप्रैल 1999	10 अक्तूबर 1999 - 6 फरवरी 2004	22 मई 2004 - आज तक

“भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा ।

–अनुच्छेद 89 (1)”

पीठासीन अधिकारी

राज्य सभा में सभापति की कुर्सी

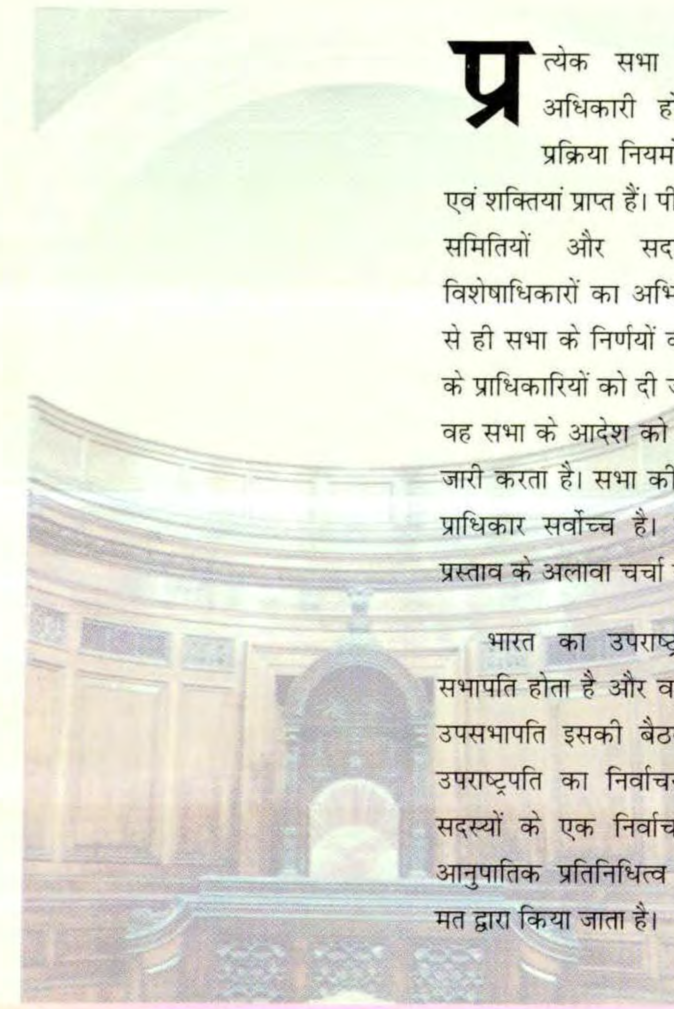

प्रत्येक सभा का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है जिसे संविधान और प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत व्यापक प्राधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। पीठासीन अधिकारी सभा, इसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अभिरक्षक होता है। उसके माध्यम से ही सभा के निर्णयों की सूचना व्यक्तियों और बाहर के प्राधिकारियों को दी जाती है; जहां भी आवश्यक हो वह सभा के आदेश को निष्पादित करने के लिए वारंट जारी करता है। सभा की परिसीमाओं के भीतर उसका प्राधिकार सर्वोच्च है। उसके आचरण पर विधिवत प्रस्ताव के अलावा चर्चा नहीं की जा सकती।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और वह तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी

सभापति : भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उसे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा पांच वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है ।

उपसभापति : राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया जाता है। वह सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस पद पर बना रहता है ।

उपसभाध्यक्षों की तालिका : इसमें सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व करने के लिए सभापति द्वारा नामित राज्य सभा के छः सदस्य शामिल होते हैं ।

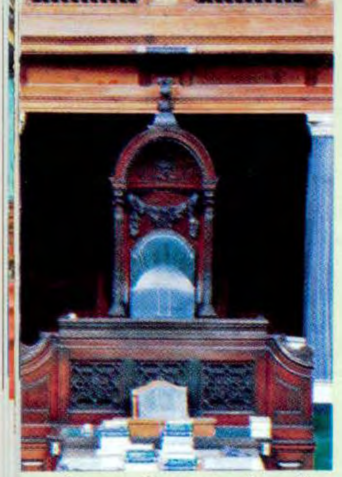

लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी

> **लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।**
>
> –अनुच्छेद 93

उपसभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है। दोनों की अनुपस्थिति में, सभापति द्वारा उपसभाध्यक्षों की तालिका में नाम-निर्देशित छः सदस्यों में से एक सदस्य सभापतित्व करता है।

जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है, तब राज्य सभा के सभापति के कर्त्तव्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। लोक सभा में अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोनों ही लोक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किये जाते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में, लोक सभाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 'सभापतियों की तालिका' में से कोई एक सदस्य अध्यक्षता करता है।

लोक सभा के पीठासीन अधिकारी

अध्यक्ष : लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित होता है और जब तक आम चुनावों के माध्यम से नई सभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक अपने पद पर बने रहता है।

उपाध्यक्ष : लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित होता है और लोक सभा के विघटन तक पद पर बने रहता है।

सभापतियों की तालिका : इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित लोक सभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं।

संसद भवन का बाह्य दृश्य

महासचिव

पीठासीन अधिकारी (अधिकारियों) के अतिरिक्त, सभा का महासचिव ऐसा दूसरा अधिकारी है जिसका सभा के सुचारू संचालन में योगदान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है।

महासचिव की नियुक्ति राज्य सभा के मामले में सभापति द्वारा और लोक सभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा की जाती है और उसकी पदस्थिति संघ सरकार के सर्वोच्च सिविल सेवक अर्थात् कैबिनेट सचिव के समकक्ष होती है। वह मौनभाव से लगभग गुमनामी के साथ काम करता है और पीठासीन अधिकारियों को तटस्थ सलाह देकर प्रक्रिया संबंधी मुद्दों का समाधान करने में उनकी सहायता करता है और वह विवादास्पद मामलों में अपनी विवेकपूर्ण सलाह और विशेष राय देकर पीठासीन अधिकारियों की मदद करता है। वह पीठासीन अधिकारियों और सभा के सदस्यों के दलगत संबंधों का विचार किये बिना उनके लिए, समान रूप से सुलभ होता है। यद्यपि वह सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्षदर्शी होता है तथापि वह उसमें भाग नहीं लेता है। वह केवल उस समय सभा में बोलता है जब उसे विधेयकों या अन्य मामलों के बारे में दूसरी सभा से प्राप्त संदेशों की सूचना वहां देनी होती है। नियमों के अधीन सभी सूचनाएं महासचिव को संबोधित की जानी अपेक्षित हैं। वह सभा के अभिलेखों का अभिरक्षक भी होता है और सभा की कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करवाता है तथा दिवस के लिए सभा की कार्यावलि भी जारी करता है।

> संसद न केवल विधायी अपितु विचार-विमर्श करने वाला निकाय भी है। जहां तक इसके चर्चा संबंधी कृत्यों का संबंध है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं तथा यह भी हम पर निर्भर करता है कि क्या हम द्विसदनीय व्यवस्था को, जो कि संविधान का अभिन्न अंग है, न्यायोचित बनाते हैं या नहीं।
>
> **डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन**
> राज्य सभा के प्रथम सभापति

संसद भवन का बाह्य चित्र

संसद की भूमिका

भारतीय संसद, विधान बनाने, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने और जनता की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का मूलभूत कार्य करती है। संसद का प्राथमिक कार्य विधान बनाना है किन्तु विधान की पहल करने के मामले में संसद एक सीमित भूमिका निभाती है। विधायी प्रस्ताव अधिकांशत: सरकार द्वारा पुर:स्थापित किए जाते हैं ताकि वह उन वायदों को पूरा कर सके जिसके लिए उसे जनादेश मिला है। संसद, सर्वोच्च निर्वाचित निकाय होने के नाते, प्रस्तावों पर पूरी चर्चा करने और ऐसे संशोधन सुझाने के पश्चात् जिन्हें वह आवश्यक समझे, उन पर अंतिम मंजूरी प्रदान करती है। संसद के अनुमोदन के बिना कोई भी विधेयक कानून की किताब में शामिल नहीं किया जा सकता।

संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यह विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण कायम रखती है। संविधान में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरे शब्दों में, यदि लोक सभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सरकार गिर जाती है। संसद, वित्त पर अपने नियंत्रण के जरिये कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। संसद, प्रत्येक मंत्रालय से संबद्ध अनुदान मांगों पर चर्चा करने और मत लेने के पश्चात् राष्ट्र के बजट को अनुमोदित करती है। लोक सभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकार की मांग को स्वीकार कर ले अथवा उस पर स्वीकृति प्रदान करने से इंकार कर दे या सरकार द्वारा मांगे गये किसी अनुदान की राशि को कम कर दे। वित्त पर ऐसे संसदीय नियंत्रण से प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। बजट को अनुमोदित करते समय, न केवल बजट के मूल सिद्धान्तों पर चर्चा होती है बल्कि मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक काम-काज पर भी चर्चा की जाती है।

संसद जनता की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसद-सदस्यों को उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियात्मक युक्तियों की सहायता से जनता की शिकायतों पर खुले आम चर्चा करने और उनका समाधान ढूंढने का पर्याप्त अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ, सदस्यगण प्रश्नों (तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना), आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और संकल्पों तथा विशेष उल्लेखों (लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों) का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। इन महत्वपूर्ण युक्तियों के अतिरिक्त, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, बजट, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अनुदान मांगें (लोक सभा में) तथा व्यय को पूरा करने के निमित्त निधि जुटाने के प्रस्तावों पर चर्चा लोक शिकायतों के शमन ही नहीं अपितु प्रशासन के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन अथवा मूल्यांकन करने के भी और अवसर प्रदान करते हैं।

कानून बनाना	वित्तीय नियंत्रण सहित कार्यपालिका नियंत्रित करना	लोगों की शिकायतों के निवारण का एक मंच	सूचना लेने का एक मंच	मंत्रिपरिषद का प्रावधान और इसे उत्तरदायी ठहराना

> **कोई मंत्री जो निरंतर छ: मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।**
>
> –अनुच्छेद 75(5)

राष्ट्रपति भवन का वृत्ताकार उद्यान

संसद मंत्रिपरिषद् भी प्रदान करती है। संसद की दोनों सभाओं में से मंत्री बनाये जाते हैं। ऐसा कोई भी मंत्री, जो संसद की किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, तब तक छ: मास से अधिक समय तक उक्त पद पर बना नहीं रह सकता जब तक कि वह इस अवधि के भीतर किसी एक सभा की सदस्यता न प्राप्त कर ले।

राष्ट्रपति भवन में वृत्ताकार फव्वारा

दोनों सभाएं : शक्तियां एवं संबंध

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष का बाह्य दृश्य

कतिपय अपवादों को छोड़ कर संसद की दोनों सभाओं को संविधान के अंतर्गत एक समान शक्तियां और दर्जे मिले हुए हैं। तथापि, कतिपय क्षेत्रों में, प्रत्येक सभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो दूसरी को उपलब्ध नहीं हैं। इन शक्तियों का वितरण मुख्यत: उस सभा के गठन और स्वरूप पर निर्भर करता है।

राज्य सभा की विशेष शक्तियां

राज्य सभा को, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह उपबंध है कि राज्य सभा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाये। तब संसद को संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय के संबंध में भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के संकल्प एक वर्ष तक प्रवृत्त रहते हैं किन्तु इस अवधि को आगे संकल्प पारित करके और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पुन: संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों से अन्यून बहुमत द्वारा यह घोषित करते हुए संकल्प पारित कर देती है कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है।

संविधान के अधीन राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में (अनुच्छेद 352) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में (अनुच्छेद 356) अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में (अनुच्छेद 360) उद्घोषणा जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में कानून बनाने योग्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन संकल्प पारित करना।

संसद का संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के योग्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन संकल्प पारित करना।

यदि राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352) अथवा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने (अनुच्छेद 356) अथवा वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360) की उद्घोषणा किसी ऐसे समय जारी की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो चुका हो, तो उद्घोषणा तब भी प्रभावी रहेगी जब यह केवल राज्य सभा द्वारा ही अनुमोदित की जाए।

> **मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।**
>
> —अनुच्छेद 75(3)

संसद भवन का आंतरिक दृश्य

सामान्यत: ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा का निर्धारित अवधि के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में, इस संबंध में राज्य सभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। यदि उद्घोषणा किसी ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो चुका हो या इसकी अनुमति के लिए अनुमत अवधि के भीतर लोक सभा का विघटन हो जाता है, तो उद्घोषणा तभी प्रभावी रह सकती है जब राज्य सभा इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प पारित कर दे।

लोक सभा की विशेष शक्तियां

लोक सभा को सरकार के 'सामूहिक उत्तरदायित्व' और वित्तीय मामलों में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। धन विधेयक का लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को भी लोक सभा में ही रखा जाता है और उन पर चर्चा की जाती है तथा उन पर मतदान कराया जाता है।

दोनों सभाओं में संबंध

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, धन विधेयक लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। इस सभा द्वारा इसे पारित कर दिए जाने के पश्चात् इसे राज्य सभा को उसकी सहमति अथवा सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार के विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्ति इसे अपने पास रखने की अवधि और इसमें संशोधन करने तक ही सीमित है। राज्य सभा को इस प्रकार के विधेयक को, उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाना होता है। यदि इसे इस समयावधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। पुन: राज्य सभा धन विधेयक में प्रत्यक्ष रूप से कोई संशोधन नहीं कर सकती; यह केवल इस प्रकार के विधेयक में संशोधन किए जाने की सिफारिश कर सकती है। लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई सभी अथवा किसी भी सिफारिश को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो विधेयक को इस प्रकार से सिफारिश किए गए तथा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया समझा जाता है।

किंतु यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, संसद की दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित हुआ समझा जाता है जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

धन विधेयक के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेणियों के वित्त विधेयकों को भी राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। किंतु इस प्रकार के विधेयकों के संबंध में राज्य सभा की शक्तियों पर अन्य कोई सीमा नहीं है और राज्य सभा को, अन्य किसी विधेयक की भांति, इस प्रकार के वित्त विधेयकों को अस्वीकृत करने तथा उनमें संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

"प्रत्येक सभा को संविधान की सीमाओं में स्वयं अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का पूरा प्राधिकार है। कोई भी सभा अपने आप में, संसद नहीं है। दोनों सभाओं से मिलकर ही भारत की संसद बनी है। किसी लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में हमारे संविधान के सफल कार्यकरण के लिए दोनों सभाओं के बीच घनिष्ठतम सहयोग अपेक्षित है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधान मंत्री"

किंतु इस सब का यह अर्थ नहीं कि राज्य सभा का वित्त से संबंधित मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। भारत सरकार का बजट प्रतिवर्ष राज्य सभा में भी रखा जाता है तथा राज्य सभा के सदस्य इस पर चर्चा करते हैं। यद्यपि राज्य सभा में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर मतदान नहीं होता - यह अनन्य रूप से लोक सभा के लिए आरक्षित मामला है। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों को भी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों / विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करते हैं। विनियोग विधेयक तथा वार्षिक वित्त विधेयक भी राज्य सभा से हो कर गुजरते हैं। राज्य सभा उनके संबंध में सिफारिशें कर सकती है, जिसे लोक सभा द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है।

विधि निर्माण के क्षेत्र में, प्रस्तुत करने वाले तथा संशोधन करने वाले सदनों के रूप में दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयकों सहित सभी विधेयक (धन विधेयकों अथवा वित्त विधेयकों के अतिरिक्त) संसद की किसी भी सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मंत्री द्वारा पुर:स्थापित विधेयक को सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है तथा गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित विधेयक को गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के नाम से जाना जाता है। विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया दोनों सभाओं में एक जैसी है। एक विधेयक को संसद की प्रत्येक सभा में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के तीन चरणों से गुजरना पड़ता है और संसद का अधिनियम बनने से पहले इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। कोई विधेयक संसद द्वारा तब तक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक उस पर संशोधन के बिना या ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सभाएं सहमत हो गई हैं, दोनों सभाएं सहमत नहीं हो जाती हैं।

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है और यह तब तक सत्ता में रहती है, जब तक उसे इस सभा का विश्वास प्राप्त है।

विश्वास अथवा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत और पारित किया जा सकता है।

लोक सभा सरकार के खजाने पर नियंत्रण रखती है। इसलिए, धन विधेयक केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार, मंत्रालयों / विभागों की अनुदान मांगों पर केवल लोक सभा में ही मतदान हो सकता है।

विधायी प्रक्रिया

प्रथम वाचन

विधेयक का पुर:स्थापन*
राजपत्र में विधेयक का प्रकाशन

द्वितीय वाचन

प्रथम चरण

प्रथम चरण में, विधेयक के सिद्धांतों और उपबंधों पर चर्चा की जाती है और एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि:-

इसे सभा द्वारा विचारण के लिए लिया जाए; अथवा

इसे राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए; अथवा

इसे लोक सभा की सहमति से सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए; अथवा

इसे जनता के विचार आमंत्रित करने के लिए परिचालित किया जाए।

द्वितीय चरण

विधेयक पर पुर:स्थापित रूप में अथवा प्रवर / संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडश: विचार।

तृतीय वाचन

इस प्रस्ताव पर चर्चा कि विधेयक (या यथासंशोधित विधेयक) को पारित किया जाए अथवा (इसे लोक सभा को, धन विधेयक के मामले में) लौटाया जाये।

* विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की शुरुआत के बाद से एक नई परिपाटी विकसित हुई है। अब, सामान्यत: विधेयकों को एक बार सभा में पुर:स्थापित किए जाने के बाद जाँच तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग-संबंधित समितियों को सौंप दिया जाता है।

विधेयक

सरकारी विधेयक | गैर-सरकारी विधेयक

विधेयकों के प्रकार

- मूल विधेयक (नए प्रस्ताव, विचार या नीतियों वाले)
- संशोधनकारी विधेयक (मौजूदा अधिनियमों में परिवर्तन, संशोधन या पुनरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ)
- समेकनकारी विधेयक (मौजूदा अधिनियमों के समेकन के प्रयोजनार्थ)
- समाप्त हो रहे कानूनों को (जारी रखने के लिए) विधेयक (ऐसे अधिनियमों को जारी रखने के लिए जो एक निर्धारित तिथि के बाद समाप्त हो जाएंगे)
- निरसनकारी और संशोधनकारी विधेयक (अप्रासंगिक हो चुके अधिनियमों के निरसन के प्रयोजनार्थ)
- विधिमान्यकारी विधेयक (कतिपय कार्रवाइयों को विधि-मान्यता देने के प्रयोजनार्थ)
- अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक
- धन तथा वित्त विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक

"हम नई संसदीय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार केन्द्र में द्वितीय सदन को प्रारंभ कर रहे हैं और हमें इस देश की जनता को इसका औचित्य बताने के लिए अपनी शक्ति के दायरे में हर प्रयास करना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई कानून बनने से रोकने के लिए द्वितीय सदन का होना अनिवार्य है।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन्"

भारतीय संसद के केन्द्रीय कक्ष का आंतरिक दृश्य

किसी विधेयक पर दोनों सभाओं के बीच असहमति होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की असहमति तब सामने आ सकती है जब (i) एक सभा द्वारा पारित विधेयक को दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो; या (ii) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अन्तिम रूप से असहमत हो गई हों; अथवा (iii) दूसरी सभा में विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छः मास से अधिक बीत गए हों दोनों सभाओं के बीच किसी विधेयक के संबंध में आए गतिरोध को दूर करने हेतु संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक का उपबंध किया गया है जिसे राष्ट्रपति बुला सकता है। यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सभाओं के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो उसे दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा।

धन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।

भारतीय संसद के इतिहास में, ऐसे तीन अवसर आये हैं जब इस तरह के गतिरोध के समाधान के लिए दोनों सभाओं ने संयुक्त बैठक की है।

संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद की प्रत्येक सभा द्वारा अलग-अलग सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उस सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित करना होता है। इनमें से कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को आधे से अन्यून राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुमोदित कराना भी आवश्यक होता है। किसी संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में उस स्थिति में संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है जब दोनों सभाओं में ऐसे विधेयक को एक सभा द्वारा अस्वीकार किये जाने पर या दोनों सभाओं द्वारा ऐसे विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों से सहमत न होने पर गतिरोध उत्पन्न हुआ हो।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, मंत्री संसद की किसी भी सभा से हो सकते हैं। संविधान इस संबंध में दोनों सभाओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सभा में बोलने का और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह मतदान केवल उसी सभा में कर सकता है जिसका वह सदस्य है।

इसी प्रकार संसद की सभाओं और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में संविधान द्वारा दोनों सभाओं को समान स्थान दिया गया है।

संयुक्त बैठकें

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1959 के संबंध में 6 और 9 मई, 1961 को	**बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 के संबंध में 17 मई, 1978 को**	**आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 के संबंध में 26 मार्च, 2002 को**

संसद भवन के बाह्य भाग का दृश्य

> **“संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।**
>
> –अनुच्छेद 105(2) ”

अन्य महत्वपूर्ण मामले जिनके संबंध में दोनों सभाओं की समान शक्तियां हैं, वे हैं : राष्ट्रपति का चुनाव और उन पर महाभियोग, उप-राष्ट्रपति का चुनाव, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देना तथा राज्यों में सांविधिक तंत्र की विफलता के संबंध में घोषणा करना और विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करना।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व और कतिपय वित्तीय मामलों (जो कि केवल लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) के अतिरिक्त दोनों सभाओं की शक्तियां समान हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय संसद की कोई भी सभा एक दूसरे से उच्च नहीं है और प्रत्येक सभा को संविधान द्वारा उसे प्रदत्त विशिष्ट कार्यों को करना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था :

''इनमें से किसी भी सभा को उच्च सदन या निम्न सदन कहना उचित नहीं है। प्रत्येक सभा को अपनी प्रक्रिया को संविधान की सीमाओं में विनियमित करने का पूरा अधिकार है। कोई भी सभा अकेले अपने आप में संसद नहीं है। दोनों सभाएं मिलकर भारत की संसद बनाती हैं, दोनों सभाओं के बीच कोई सांविधिक मतभेद नहीं हो सकते हैं क्योंकि अंतिम प्राधिकरण तो स्वयं संविधान ही है। संविधान, वित्तीय मामलों, जो कि केवल लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में है, के अतिरिक्त दोनों सभाओं को समान मानता है।''

गत अनेक वर्षों से दोनों सभाओं ने सहयोग की भावना से कार्य किया है और दोनों में विधान या किसी अन्य विषय में कभी-कभार ही असहमतियां हुई हैं।

राज्य सभा कक्ष

विधायी क्षेत्र में संसद का प्रभुत्व

संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच कानूनों की विषय-वस्तु के आबंटन की पद्धति अनेक प्रकार से विधायी क्षेत्र में संसद के सामान्य प्रभुत्व पर जोर देती है। राज्य विधान सभा अपने सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए ही कानून बना सकती है, जबकि संसद के पास पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान सभाओं के बीच विधायी संबंधों को परिभाषित करने वाली तीन सूचियों में बांटे गए विषयों का विस्तृत वर्णन है। जहां संसद को संघीय सूची में शामिल विषयों के संबंध में कानून बनाने की एकांतिक शक्ति है, वहां राज्य विधान सभा के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में कानून (अपने-अपने राज्य के लिए) बनाने की एकांतिक शक्ति है। समवर्ती सूची में शामिल मामलों के संबंध में, संसद और राज्य विधान सभा दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अलावा, जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं किया गया है उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति एकांतिक रूप से संसद के पास है।

संसद और राज्य विधान सभाओं को संविधान की सातवीं अनुसूची में आबंटित किए गए विविध विषयों के अतिरिक्त, संसद सामान्य समय में भी कतिपय परिस्थितियों में, अनन्य रूप से राज्यों के लिए आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय के संबंध में विधायी शक्ति ग्रहण कर सकती है। यदि विधान सभा द्वारा बनाये गये कानून का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाये गये कानून के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, लागू होगा और राज्य विधान सभा द्वारा बनाया गया कानून विरोध की सीमा तक अप्रवर्तनशील हो जायेगा।

संविधान की सातवीं अनुसूची

संघ सूची (97 विषय)	राज्य सूची (66 विषय)	समवर्ती सूची (47 विषय)

आंध्र प्रदेश विधान सभा का दृश्य

कर्नाटक विधान सभा का दृश्य

इसके अतिरिक्त, गंभीर आपातकाल के दौरान, युद्ध या विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा होने पर और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दिए जाने पर संसद को राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी मामले के संदर्भ में भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ।

इसी प्रकार, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, उस राज्य की विधान सभा की शक्तियों का संसद के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जा सकता है ।

विविध विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान केवल संसद को प्रदान करता है ।

गोवा विधान सभा का दृश्य

सिक्किम विधान सभा का दृश्य

> **राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छः मास का अंतर नहीं होगा।**
>
> –अनुच्छेद 85(1)

संसद का सामान्य कार्यकरण

सत्र

सामान्यतः एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित होते हैं : (i) बजट सत्र, *(ii) मानसून सत्र और (iii) शीतकालीन सत्र । औसत रूप से एक वर्ष में संसद की बैठकें 85 से 105 दिन तक होती हैं। तथापि, संसदीय समितियों की बैठकें वर्षभर चलती रहती हैं।

कार्य प्रबंध

दोनों सभाओं की बैठकें मध्याह्न पूर्व 11 बजे अपने अलग-अलग कक्षों (चेम्बर) में होती हैं और मध्याह्न पश्चात् 5.00 (राज्य सभा) या 6.00 बजे (लोक सभा) या उसके बाद समाप्त होती हैं। संसद किसी विशेष दिन उस दिन की कार्यावलि में यथा उल्लिखित क्रम से मामलों का निपटारा करती है, जो उस दिन सभा की बैठक के आरम्भ से पहले सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है। सामान्यतः प्रतिदिन बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है जिसके दौरान सदस्य मंत्रियों से उनके मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मामलों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तथापि नए चुने गए सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान या दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि को, यदि दी जानी हो तो, प्रश्नों से पहले संपन्न किया जाता है। प्रश्नों के समय के तत्काल बाद, मंत्री तथा समितियों के अध्यक्ष/सदस्य दोनों सभाओं के पटलों पर पत्रों, प्रतिवेदनों, आदि को रखते हैं जिन्हें संसद को जानकारी देने के लिए विभिन्न कानूनों के अधीन रखा जाना अपेक्षित होता है। तत्पश्चात्, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने का प्रस्ताव, यदि कोई हो, को विचारार्थ लिया जाता है। अन्यथा, राज्य सभा में नियम 180क के अधीन विशेष उल्लेखों और लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों पर विचार किया जाता है। कभी-कभी इस समय के दौरान सभापीठ की

संसद भवन

*विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की स्थापना के परिणामस्वरूप, संबद्ध नियम में यह प्रावधान है कि सभाओं में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात् सभाएं एक निर्धारित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएंगी और पूर्वोक्त अवधि के दौरान ये समितियां संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करेंगी।

राज्य सभा के सभापति के कक्ष के लिये प्रवेश द्वार

अनुमति से सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सामान्यत: अपराह्न की बैठक में विधायी कार्य किया जाता है। प्राय: मंत्री सामान्य लोक महत्व के मामलों के संबंध में वक्तव्य देते हैं। कभी-कभी ऐसे विषयों पर आधा घंटे की चर्चा की जाती है जिनकी विषय-वस्तु हाल ही के किसी मौखिक या लिखित प्रश्न की होती है तथा जिनके लिए तथ्यों की और अधिक व्याख्या अपेक्षित होती है। कभी-कभी अल्पकालिक चर्चा भी की जाती है ।

संसद भवन के आगे का दृश्य

संसद के सत्र

बजट सत्र (फरवरी-मई)	मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त)	शीतकालीन सत्र (नवम्बर-दिसम्बर)

कार्य व्यवस्था*

नए सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान; दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि, यदि हो ।

प्रश्न काल (मध्याह्न पूर्व 11 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक) ।

पत्रों / प्रतिवेदनों इत्यादि का सभा पटल पर रखा जाना ।

सभापीठ की अनुमति से उठाए जाने वाले मामले ।

किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यानाकर्षण, यदि कोई हो ।

राज्य सभा में विशेष उल्लेख / लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामले ।

भोजनावकाश ।

विधेयकों के पुर:स्थापन, उन पर चर्चा अथवा उन्हें पास करने जैसे विधायी कार्य का निष्पादन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर अल्पकालिक चर्चाएं, यदि कोई हों ।

तथ्यों के और स्पष्टीकरण हेतु हाल में पूछे गये प्रश्न (सभा में पूछे गए मौखिक अथवा लिखित) की विषय-वस्तु के संबंध में आधे घंटे की चर्चा, यदि कोई हो ।

सामान्य लोक महत्व के मामलों पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य / विवरण, यदि कोई हो ।

*राज्य सभा के विशेष संदर्भ में

> इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।
>
> –अनुच्छेद 118 (1)

संसद में प्रक्रियागत नवीनताएं

संसद के दो प्रमुख कार्य, लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करना और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालना है। यह कार्यपालिका पर निगरानी भी रखती है।

अत: विधान मंडल में विचार-विमर्श सृजनात्मक, सूचना प्रदायक, उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और वे प्रक्रिया विषयक नियमों के मानकों के अधीन भी होने चाहिए। संसदीय प्रक्रिया को भी इन्हीं कार्यों के अनुरूप होना पड़ता है और उसे लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु सदस्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके हाथ में पर्याप्त युक्तियां प्रदान करनी होती हैं। समय-समय पर भारतीय संसद की दोनों सभाओं में कई प्रक्रियागत नवीनताओं का समावेश किया गया है। संसदीय कार्य के संचालन में कुछ महत्वपूर्ण नवीनताएं इस प्रकार हैं:-

ध्यानाकर्षण

इस प्रक्रिया के अधीन, कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है और संबंधित मंत्री उस पर वक्तव्य देता है। इसके साथ-साथ चैम्बर में सदस्यों को वक्तव्य की प्रतियां वितरित की जाती हैं। तत्पश्चात् सदस्यों को उस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। इस प्रकार, इस युक्ति से सदस्यों को अपने-अपने विचार प्रकट करने का तथा सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है।

अल्पकालिक चर्चा

सदस्य, इस युक्ति से अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। जब ऐसी चर्चा की अनुमति दी जाती है तो सभा के समक्ष न तो कोई प्रस्ताव होता है और न ही चर्चा के अंत में कोई मतदान होता है। इसमें सरकार की किसी भी प्रकार की निन्दा से संबंधित कोई प्रश्न निहित नहीं होता है। संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ चर्चा समाप्त होती है।

राज्य सभा में विशेष उल्लेख और लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामले

भारतीय संसद में जिस नयी प्रणाली का विकास किया गया है वह है राज्य सभा में 'विशेष उल्लेख' और लोक सभा में नियम 377 के अधीन मामलों का उठाया जाना। इसमें सदस्यों द्वारा ऐसे मामलों को अविलम्ब उठाया जा सकता है जो लोक महत्व के हों और जो अन्यथा किसी और रूप में नहीं उठाये जा सकते हों। पहले राज्य सभा में विशेष उल्लेख प्रक्रिया के अधीन मामला उठाने के संबंध में कोई नियम लागू नहीं था। नियम समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के संग्रह में विशेष उल्लेख के समावेश की सिफारिश की थी तथा इस प्रयोजनार्थ नये नियम 180क से नियम 180ङ तक जोड़ने का सुझाव दिया था। ये नये नियम 1 जुलाई, 2000 से लागू हुए। विशेष उल्लेख के सार को दिवस की कार्यवाही से लिया जाता है और संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है जिससे 30 दिनों के भीतर मंत्री के हस्ताक्षर सहित उत्तर सीधे सदस्य को प्रस्तुत किया जा सके और उसकी प्रतियां इस सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जा सकें। सदस्यगण अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषयों के साथ-साथ लोक महत्व के विषयों को उठाने के लिए भी इस प्रक्रिया का अधिकाधिक सहारा ले रहे हैं।

गणतंत्र दिवस परेड में रंगारंग शोभायात्रा

गणतंत्र दिवस परेड में रंगारंग शोभायात्रा

प्रश्नकाल के पश्चात् निवेदन

सदस्यों ने लगभग मध्याह्न 12 बजे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक और तकनीक खोज ली है यद्यपि यह अनौपचारिक है और नियम पुस्तिका में संस्थागत अथवा समाविष्ट नहीं की गई है। भारतीय पत्रकारों ने इस समय को "शून्यकाल" का नाम दिया है। क्योंकि यह मध्याह्न से आरम्भ होता है। इस समय के दौरान कई सदस्यगण उन सभी विषयों पर, जिन्हें वे अविलंबनीय समझते हों, और आने वाले दिनों में उन विषयों को उठाए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उठाए जाने वाले मुद्दों की गंभीरता अथवा महत्व पर प्रभाव पड़ेगा, तात्कालिक निवेदन करने के लिए खड़े होते हैं। वास्तव में लोक सभा में यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह सभा में ऐसे मामलों को उठाये जाने की अनुमति दें या न दें। राज्य सभा में सभापति मामले के महत्व और गंभीरता पर विचार करने के बाद किसी सदस्य को सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को उठाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन, सभा में आम प्रवृत्ति शून्यकाल के दौरान निवेदनों को हतोत्साहित करने की है।

मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध

समिति प्रणाली

स्थायी समितियां

अधिकांश संसदीय कार्य समितियों में किया जाता है। संसद की दोनों सभाओं में अलग-अलग और संयुक्त रूप से सुसंगठित समिति संरचना विकसित की गयी है। दोनों सभाओं के नियमों के अंतर्गत बनाई गयी महत्वपूर्ण समितियों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) **जांच करने वाली समितियां**, जैसे याचिका समिति; विशेषाधिकार समिति; और आचार समिति;

(ii) **संवीक्षा करने वाली समितियां**, जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति;

(iii) **सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी समितियां**, जैसे कार्य मंत्रणा समिति; गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति (केवल लोक सभा में); और नियम समिति;

(iv) **सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समितियां**, जैसे सामान्य प्रयोजन समिति; आवास समिति; और सदस्यों को कंप्यूटरों के प्रावधान संबंधी समिति;

(v) **अन्य समितियां**, जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति।

जिन प्रमुख संयुक्त समितियों में दोनों सभाओं के सदस्यों का प्रतिनिधित्व 1 : 2 के अनुपात में है। वे इस प्रकार हैं :-

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की जांच-पड़ताल करती है);

(ii) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी समिति;

(iii) लाभ के पदों संबंधी समिति (यह इस बात की जांच-पड़ताल करती है कि, जहां तक संसद सदस्यों का संबंध है, किस पद का धारण करना उन्हें सदस्यता के लिए अयोग्य करेगा और किस पद का नहीं);

(iv) ग्रंथालय समिति ।

उक्त समितियों के अतिरिक्त निम्नलिखित वित्तीय समितियां भी हैं :-

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति;

> **सभाओं की मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां होंगी (इन्हें स्थायी समितियां कहा जाएगा)।**
>
> –नियम 268(1)*

बीटिंग रिट्रीट समारोह के अवसर पर जगमगाते नॉर्थ और साउथ ब्लॉक

(iii) प्राक्कलन समिति (इस समिति में केवल लोक सभा के सदस्य ही होते हैं);

(iv) रेल अभिसमय समिति (यह सामान्य राजस्व को रेलवे द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की दर का निर्धारण करती है)।

विभाग-संबंधित स्थायी समितियां

पिछले कई वर्षों में यह देखा गया कि बजट-सत्र के दौरान अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर लोक सभा में पूरी चर्चा नहीं हो पाती थी तथा समयाभाव के कारण उन पर वाद-विवाद को समाप्त कर दिया जाता था। 1989 में कृषि; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं वन संबंधी तीन विषय-आधारित समितियां गठित की गयी थीं। समिति प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए संसद की दोनों सभाओं ने 29 मार्च, 1993 को सत्रह विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना को स्वीकृति दे दी। इन समितियों ने 1989 में स्थापित तीन विषय-आधारित समितियों का स्थान लिया है तथा इन्होंने अपने कार्य-क्षेत्र में जांच-पड़ताल के उद्देश्य से, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को सम्मिलित कर लिया है। इन समितियों को निम्नलिखित कार्यक्रम सौंपे गये हैं :-

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन देना। इन प्रतिवेदनों में कटौती प्रस्ताव जैसी किसी बात का सुझाव नहीं दिया जायेगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित उन विधेयकों की जांच करना, जो समिति को यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें तथा उन पर प्रतिवेदन देना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना तथा उन पर प्रतिवेदन देना; और

(घ) सभाओं में प्रस्तुत किए गए लंबी अवधि के आधारभूत राष्ट्रीय नीति संबंधी दस्तावेजों, यदि वे समिति को यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा, सौंपे जायें, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन देना ।

ये स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों पर विचार नहीं करेंगी ।

इन नई विभाग-संबंधित स्थायी समितियों का उद्घाटन भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री के. आर. नारायणन ने 31 मार्च, 1993 को किया था। संसद के केन्द्रीय कक्ष में विभाग-संबंधित स्थायी समिति प्रणाली का

*राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम

ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह

उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि इन समितियों का मुख्य प्रयोजन है–

"...इन समितियों में उपायों पर और अधिक विस्तृत विचार करके संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना। इनका मन्तव्य प्रशासन को कमजोर करना या उसकी आलोचना करना नहीं है बल्कि उसे और अधिक सार्थक संसदीय सहयोग देकर सुदृढ़ करना है।"

इन समितियों की संख्या जुलाई, 2004 में बढ़ाकर चौबीस कर दी गई। इनमें से, आठ समितियां राज्य सभा और सोलह समितियां लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं - 10 राज्य सभा के और 21 लोक सभा के। जो समितियां राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र में हैं उनकी अध्यक्षता राज्य सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है, जबकि लोक सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समितियों की अध्यक्षता लोक सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है।

विभाग-संबंधित समितियों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों के क्रियाकलापों की सकारात्मक समालोचना करके कार्यपालिका को सुदृढ़ बनाया है। नियमों के अधीन निर्धारित किये गये अपने कार्यक्षेत्र के भीतर कार्य कर रही इन विभाग-संबंधित स्थायी समितियों को कार्यपालिका का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

संसदीय समितियों का वर्गीकरण

दोनों सभाओं की एक समान समितियां

जांच करने वाली समितियां	**याचिका समिति** **विशेषाधिकार समिति** **आचार समिति**
संवीक्षा करने वाली समितियां	**सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति** **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति** **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**
सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी समितियां	**कार्य मंत्रणा समिति** **नियम समिति** * **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति** * **सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति**
सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समितियां	**सामान्य प्रयोजन समिति** **आवास समिति** **सदस्यों को कंप्यूटरों के प्रावधान संबंधी समिति**
वित्तीय समितियां	* **प्राक्कलन समिति**
अन्य समितियां	**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति**

* केवल लोक सभा में

ऐसी समितियां जिनमें दोनों सभाओं के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है

स्थायी संयुक्त समितियां

- महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति
- लाभ के पदों संबंधी समिति
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
- संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी समिति
- ग्रंथालय समिति

तदर्थ संयुक्त समितियां

- वक्फ संबंधी समिति
- संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी समिति
- रेल अभिसमय समिति
- संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्रों/प्रतिमाओं के संस्थापन संबंधी समिति
- संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति

वित्तीय समितियां

- लोक लेखा समिति
- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विभाग-संबंधित स्थायी समितियां

राज्य सभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समितियां

- वाणिज्य संबंधी समिति
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति
- गृह कार्य संबंधी समिति
- मानव संसाधन विकास संबंधी समिति
- उद्योग संबंधी समिति
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति
- परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति

लोक सभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समितियां

- कृषि संबंधी समिति
- रसायन और उर्वरक संबंधी समिति
- कोयला और इस्पात संबंधी समिति
- रक्षा संबंधी समिति
- ऊर्जा संबंधी समिति
- विदेशी मामलों संबंधी समिति
- वित्त संबंधी समिति
- खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति
- श्रम संबंधी समिति
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति
- रेल संबंधी समिति
- ग्रामीण विकास संबंधी समिति
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति
- शहरी विकास संबंधी समिति
- जल संसाधन संबंधी समिति

संसद भवन के ऊपर तिरंगा

संसदीय मंच

संसद की दोनों सभाओं में एक विस्तृत समिति प्रणाली है। समितियों की अपनी सुपरिभाषित भूमिका, कार्यकरण और शक्तियां होती हैं जैसाकि सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में उल्लिखित है। वर्ष 1993 में विभाग-संबंधित समितियों के आरंभ से, केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को किसी-न-किसी समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया। ये समितियां सदस्यों को न केवल मंत्रालयों/विभागों के बजट प्रस्तावों, विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और मूलभूत दीर्घावधिक राष्ट्रीय नीतियों की संवीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं बल्कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचारित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। तथापि, विभाग-संबंधित समितियों के मंचों पर विचार-विमर्श/परिचर्चा मुख्यत: प्रक्रिया विषयक नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होते हैं। अत: कभी-कभी समितियां प्रक्रिया विषयक नियमों द्वारा उन पर लादी गई सीमाओं से ऊपर उठने में समर्थ न होने की बाध्यताएं महसूस करती हैं और इस प्रकार उन्हें उनसे सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से संबंधित किसी विशेष मुद्दे के सभी पहलुओं पर गौर करने में बाधा महसूस होती है।

निश्चित रूप से इन समितियों के प्रयासों को बढ़ाने के दृष्टिगत ही पृथक् संसदीय मंचों की यह संकल्पना उत्पन्न हुई। ये मंच विभाग-संबंधित समितियों के समकक्ष नहीं हैं और न ही इनकी प्रवृत्ति इन समितियों की शासकीय स्थिति को किसी भी प्रकार से कमजोर करना है। वास्तव में, ये मंच समितियों के पूरक हैं क्योंकि ये सदस्यों को किसी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए, ऐसी रीति से एक और मंच प्रदान करते हैं जो संभवत: विभाग-संबंधित समिति प्रदान नहीं कर सकती।

संसद भवन में एक समिति कक्ष

संसदीय सौध स्थित एक समिति कक्ष

वर्तमान में चार अलग-अलग विषय-वस्तुओं से संबंधित चार संसदीय मंच हैं। इनके नाम हैं– जन संरक्षण और प्रबंधन मंच; बाल मंच; युवा मंच; तथा जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य मंच। इनमें से जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच पहला मंच है। इसकी स्थापना 12 अगस्त, 2005 को की गई थी, इसके बाद बाल मंच की स्थापना 2 फरवरी, 2006 को की गई थी। युवा मंच की स्थापना 20 फरवरी, 2006 को तथा जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी मंच की स्थापना 31 मई, 2006 को की गई थी।

इनमें से प्रत्येक मंच में दोनों सभाओं के सदस्य शामिल हैं। लोक सभा के अध्यक्ष जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी मंच; बाल मंच तथा युवा मंच के पदेन अध्यक्ष हैं। जबकि राज्य सभा के सभापति जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी मंच के पदेन अध्यक्ष हैं। लोक सभा के अध्यक्ष इसके पदेन सह-अध्यक्ष हैं। इनमें कुछ पदेन उपाध्यक्ष भी होते हैं; जैसे राज्य सभा के उपसभापति, लोक सभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री तथा संबंधित विभाग-संबंधित समितियों के अध्यक्ष। विभाग-संबंधित समितियों के विपरीत जिनका संचालन प्रक्रिया-विषयक नियमों द्वारा किया जाता है, इन मंचों का संचालन राज्य सभा के सभापति के परामर्श से लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन मंचों की तुलना संसदीय समितियों से करते समय यह कहना ठीक रहेगा कि मंच अर्द्ध-शासकीय निकाय हैं और संसदीय समितियां शासकीय निकाय हैं। इन मंचों की स्थापना समितियों के स्थानापन्न के रूप में नहीं की गई है बल्कि इनके अनुपूरक के रूप में की गई है।

संसदीय-ज्ञानपीठ

संसद ग्रंथालय का भीतरी हिस्सा

संसद ग्रंथालय

संसद ग्रंथालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यहां एक अनुसंधान और संदर्भ स्कंध (विंग) भी है जो संसद सदस्यों को तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सूचनाएं उपलब्ध कराता है। सम्पूर्ण अनुसंधान और पुस्तकालय स्थापना अब **संसदीय ज्ञानपीठ** नामक नए भवन में स्थित है। यह एक मॉड्यूलर, उपयोगवादी और केन्द्रीयकृत वातानुकूलित भवन है। यह ग्रंथालय पूर्णत: कम्प्यूट्रीकृत है और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल.ए.एन.) और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) की सुविधा से युक्त है जो राज्य विधानमण्डलों, अन्य देशों की संसदों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क स्थापित करता है। नया ग्रंथालय भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें पुराने और दुर्लभ दस्तावेजों के प्रत्यावर्तन के लिए एक (पूर्णत: सुसज्जित) संरक्षण प्रयोगशाला, श्रव्य/दृश्य सामग्रियों के संरक्षण के लिए अभिलेख कक्ष, माइक्रो-फिल्म रोल्स, कम्प्यूटर टेप्स, आधुनिक सुविधायुक्त एक मीडिया केन्द्र, एक श्रव्य-दृश्य एकक, एक माइक्रो फिल्म वाचक कक्ष, विभिन्न क्षमताओं वाले दो सभागार आदि उपलब्ध हैं।

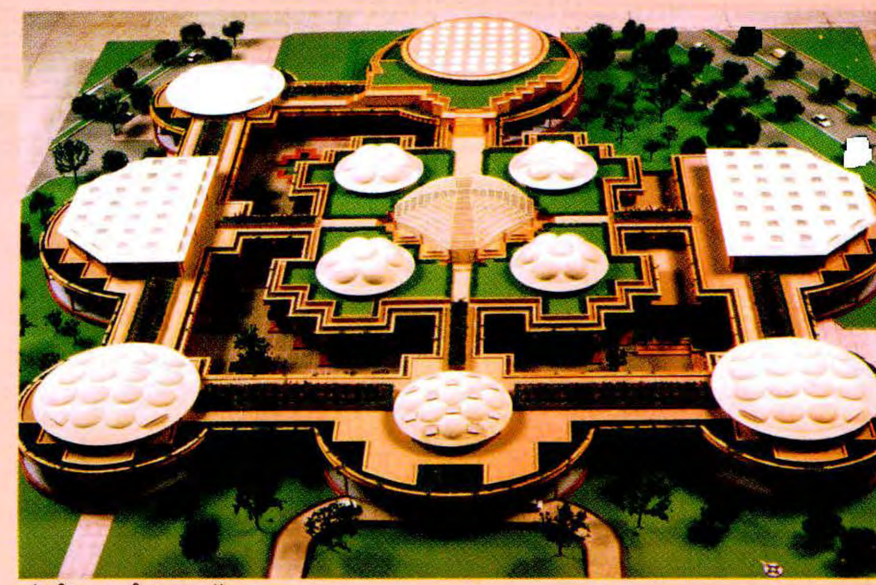

संसदीय ज्ञानपीठ का मॉडल

संसदीय संपदा में अधिष्ठापित टी.वी. एंटेना

टेलिविज़न और संसद

संसद की कार्यवाही का टेलिविज़न पर प्रसारण पहली बार 20 दिसंबर, 1989 को किया गया था जब दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति ने संबोधित किया था। साथ-साथ इसका प्रसारण आकाशवाणी से भी किया गया। तत्पश्चात् राष्ट्रपति के अभिभाषण का रेडियो/दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण शुरू हुआ यद्यपि आरंभ में यह पूरी तरह तदर्थ व्यवस्था के आधार पर किया गया था ।

प्रश्नों के समय पर 2 दिसंबर, 1991 को पहली बार टेलिफिल्म बनाई गई थी। लोक सभा में प्रश्नों के समय की कार्यवाही पर जो टेलिफिल्म बनाई गई उसे अगले दिन सुबह 7.15 से 8.15 तक प्रसारित किया गया ।

राज्य सभा के प्रश्नों के समय की टेलिफिल्म सर्वप्रथम 9 दिसंबर, 1991 को बनायी गयी थी। इसका प्रसारण अगली सुबह 7.15 से 8.15 तक किया गया ।

प्रारंभिक चरण के रूप में, दूरदर्शन पर प्रश्नों के समय के प्रसारण के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने न केवल इसे जारी रखने का निर्णय लिया बल्कि कार्यवाहियों के प्रसारण को और अधिक विस्तृत करने का भी निर्णय लिया। तद्नुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अतिरिक्त जिसका प्रसारण 24 फरवरी, 1992 को किया गया था, 25 फरवरी, 1992 और 29 फरवरी, 1992 को क्रमश: रेल बजट और सामान्य बजट का सीधा प्रसारण भी पहली बार किया गया था ।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर संसद के प्रश्नों के समय का देश भर में सीधा प्रसारण 7 दिसंबर, 1994 को शुरू किया गया जिसमें दूरदर्शन ने राज्य सभा के प्रश्नों के समय का सीधा प्रसारण किया था। अगले सप्ताह, लोक सभा के प्रश्नों के समय का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया गया ।

लोक सभा के प्रश्नों के समय और मध्याह्न भोजन के उपरांत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के एक अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर के माध्यम से 25 अगस्त, 1994 को प्रारंभ हुआ। राज्य सभा की कार्यवाही (शून्यकाल में उठाये गये निवेदनों और विशेष उल्लेखों के अतिरिक्त) का सीधा प्रसारण भी एक अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर के माध्यम से 7 दिसंबर, 1994 से शुरू किया गया ।

14 दिसंबर, 2004 को राज्य सभा के सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत और लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा क्रमश: डी डी-राज्य सभा और डी डी-लोक सभा नामक दूरदर्शन के दो विशेष उपग्रह चैनलों का शुभारम्भ किए जाने से दोनों सभाओं की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण पूरे देश में शुरू किया गया ।

डी डी-लोक सभा का पुनर्नामकरण अब एल एस टी वी के रूप में किया गया है और यह लोक सभा के स्वामित्व वाला विशेष उपग्रह चैनल बन गया है। यह चैनल लोक सभा के अध्यक्ष की कमान, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। इस चैनल को चलाने के लिए आंतरिक प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग और तकनीकी एकक सृजित किए गए हैं ।

संसद ग्रंथालय में मल्टीमीडिया केन्द्र

संसद में सूचना प्रौद्योगिकी

पूरे राष्ट्र में व्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ कदम मिलाते हुए भारतीय संसद ने भी पूर्ण आटोमेशन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय संसद की वेबसाइट की शुरूआत 15 मार्च, 1996 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के० आर० नारायणन ने की थी। दोनों सभाओं के अपने अलग-अलग होम पेज हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कई तरह की सूचनाएँ जैसे संसदीय प्रश्न, संसदीय कार्यवाहियों, सभापीठ के निदेश, सदस्य परिचय, संसदीय समितियों से संबंधित सूचनाएँ, सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम, विधेयकों आदि से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध हैं। इन वेबसाइटों में भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद्, संघ और राज्य सरकारों की साइटों, भारत का संविधान, राज्य विधानमण्डलों, भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों, संसद ग्रंथालय, अन्य देशों की संसदों, अन्तर्संसदीय संघ आदि के होम पेजों के साथ उपयोगी सम्पर्क की भी सुविधा है।

इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि उस समय हासिल हुई जब राज्य सभा का 200 वां सत्र मनाने के लिए आयोजित समारोहों के एक भाग के रूप में राज्य सभा के सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत द्वारा 11 दिसम्बर, 2003 को राज्य सभा की कार्यवाही का वेबसाइट पर सीधा प्रसारण शुरू किया गया । लोक सभा की कार्यवाही का वेबसाइट पर सीधा प्रसारण भी 11 दिसम्बर, 2003 को ही शुरू हुआ।

> प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।
>
> सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार और संसद

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के साथ ही संसद के दोनों सचिवालयों का कार्यकरण भी इसके दायरे में आ गया है। राज्य सभा सचिवालय और लोक सभा सचिवालय दोनों के अपने-अपने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी हैं जिनकी दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा विधिवत् नियुक्ति की गई है। सूचना प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने को सुगम बनाने के लिए, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 के अनुसार अपने-अपने सचिवालयों के लिए नियम बनाये हैं। परिणामत: किसी सरकारी मंत्रालय/विभाग की तरह, विशेषतया संसद के सचिवालयों और साधारणतया दोनों सभाओं का कार्यकरण सार्वजनिक सूक्ष्मवीक्षण के अधीन आएगा।

> मनुष्य और सरकारें अपने वासस्थल की गरिमा के अनुरूप जीवन निर्वाह करना चाहते हैं और यह उच्च सेवा वास्तुकला को न्यायसंगत ठहराती है।
>
> सर हर्बर्ट बेकर

संसद सम्पदा

भारतीय संसद सम्पदा के तीन मुख्य भवन हैं संसद भवन, संसदीय सौध और संसद ग्रंथालय। संसद भवन एक वृहत् गोलाकार इमारत है। इसके बीचों-बीच एक केन्द्रीय कक्ष है जिसके चारों ओर तीन चैम्बर्स-लोक सभा, राज्य सभा और सांसदों के लिए पुस्तकालय वाचन कक्ष (जिसे पहले प्रिन्सेस चैम्बर नाम से जाना जाता था) हैं। संसद भवन की डिजाइन प्रख्यात ब्रिटिश वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार की गई थी और इसका उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड इर्विन द्वारा किया गया था। इस भवन में सभापति/उपसभापति, लोक सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, मंत्रियों, संसदीय समितियों के अध्यक्षों, पार्टी कार्यालयों, दोनों सभाओं के महासचिवों आदि के लिए भी चैम्बर्स/कमरे हैं।

संसद भवन के उत्तर में संसदीय सौध स्थित है। जिसका उद्घाटन 24 अक्तूबर, 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इस सौध में मुख्यत: दोनों सभाओं के सचिवालयों की प्रशासनिक शाखाएँ/अनुभाग, समिति कक्ष और कई अन्य सेवाएं/उपादेयताएं स्थित हैं।

संसद सम्पदा में अद्यतन परिवर्द्धन संसदीय ज्ञानपीठ नामक संसद ग्रंथालय का नया भवन है। नए ग्रंथालय भवन का उद्घाटन 7 मई, 2002 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन द्वारा किया गया था।

संसद भवन

संसद ग्रंथालय

संसदीय सौध

> संसद के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा :
> परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।
>
> –अनुच्छेद 98(1)

राज्य सभा और लोक सभा सचिवालय

जैसा कि संविधान में उपबंध किया गया है, संसद की प्रत्येक सभा का अपना एक पृथक् सचिवालय है, यथा, राज्य सभा सचिवालय और लोक सभा सचिवालय। संसद की दोनों सभाओं के लिए कुछ पद उभयनिष्ठ हैं। राष्ट्रपति ने राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके दोनों सभाओं के सचिवालयों के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम बनाए हैं। दोनों सचिवालय क्रमशः सभापति और अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रत्येक सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जो सीधे सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति को रिपोर्ट करता है।

संसदीय सौध

उपाबंध

राज्य सभा और लोक सभा का संगठन और संरचना

	राज्य सभा	लोक सभा
सदस्यों की संख्या	233 (निर्वाचित) 12 (नाम-निर्देशित)	543 (निर्वाचित) 2 (नाम-निर्देशित)
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु	30 वर्ष	25 वर्ष
नाम-निर्देशन के लिए अपेक्षा	साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति।	ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के व्यक्ति, यदि सभा में उनको उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
सदस्यों का कार्यकाल	स्थायी सभा। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सदस्यता से निवृत्त हो जाते हैं।	5 वर्ष (जब तक कि पहले भंग न कर दी जाए)
पीठासीन अधिकारी	सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है) उपसभापति	अध्यक्ष उपाध्यक्ष

राज्य सभा सचिवालय, भारतीय संसद
संसद भवन, नई दिल्ली-110 001

http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabha.nic.in